नियम

प्रश्न सं. [क्र. 2398]

ग्लोबल स्किल्स पार्क (जी.एस.पी.)
सोसाईटी के नियम

1. संस्था का नाम :– ग्लोबल स्किल्स पार्क समिति।
2. विस्तार एवं प्रयुक्ति :– ये नियम समिति से संबद्ध समस्त इकाइयों एवं गतिविधियों पर लागू होंगे। समस्त नियम-म.प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973, के तहत "ग्लोबल स्किल पार्क" समिति के पंजीयन की तिथि से प्रभावशील होंगे।
3. **समिति का विजन** –अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण करने हेतु उद्योगों के सहयोग से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा प्रदेश के युवाओं को निरंतर नवीन बाजार मांग अनुसार रोजगार के लिये प्रशिक्षित करने के साथ ही उनमें उद्यमशीलता विकसित करना।
4. **समिति का मिशन** :–बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग एवं अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं के मध्य बने अंतर के लिए सेतु का निर्माण कर व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षात्मक बनाना। युवाओं के लिये विश्व स्तर के प्रशिक्षण एवं सुविधायें में वृद्धि तथा आईटीआई, कौशल विकास केन्द्र, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य तकनीकी एवं कौशल विकास से जुड़ी संस्थाओं की आवश्यकताओं के लिये मातृ संस्था के रूप में विकसित कर स्थापित करना। इसी के साथ अंतर गुणवत्ता प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण, शिक्षुता, इन्क्यूबेशन, उद्यमिता तथा नियोजन के लिये एकीकृत समाधान के रूप में कार्य करना।
5. समिति के उद्देश्य:-
   - क. विश्वस्तरीय ग्लोबल स्किल्स पार्क की अंर्तराष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन।
   - ख. कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास।
   - ग. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशलपूर्ण मानव संसाधन की पूर्ति की चुनौतियों को पूर्ण करने के लिए तथा राज्य के नागरिकों के लक्षित समूह को दीर्घकालिक गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना।
   - घ. विश्वस्तरीय मानकों के अनुरुप कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रों की स्थापना करना।
   - ङ. महिलाओं तथा दिव्यांगों को विशेषतः केंद्रित करते हुए, राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में दक्षता प्रदान करना।
   - च. लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों से संपर्क स्थापित करना एवं उनकी आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन का विकास करना।
   - छ. अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास के क्षेत्र के अग्रणी संस्थानों से संपर्क एवं समन्वय।

संयुक्त संचालक (ए डी बी)
एमपीएसएसडीईजीबी
भोपाल (म.प्र.)

(R.K. Jain)
Add. Secretary
Govt. of MP
Tech. Edu. & Skill Dev. Deptt.

...K. Austin
Global Skills Park City Campus
Bhopal

ज. केन्द्र शासन द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास और भारत में निर्माण (Make In India) कार्यक्रम को उद्यमिता विकास एवं वित्तीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की सहभागिता से सुदृढ़ता प्रदान करना।

झ. कौशल विकास के क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रशिक्षकों को तैयार करना।

6. **परिभाषाएं :-** इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(एक)साधारण सभा से अभिप्रेत है इन नियमों के अंतर्गत गठित साधारण सभा।

(दो) संचालक मण्डल से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम के तहत गठित समिति की कार्यकारिणी।

(तीन) सभापति से अभिप्रेत है, समिति की साधारण सभा का सभापति।

(चार) उपसभापति से अभिप्रेत है, समिति की साधारण सभा का उपसभापति।

(पांच) अध्यक्ष से अभिप्रेत है, संचालक मण्डल का अध्यक्ष।

(छः) मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अभिप्रेत है, ग्लोबल स्किल्स पार्क समिति का मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

(सात) भारत सरकार से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय एवं संबंधित विभाग।

(आठ) मध्य प्रदेश शासन से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य शासन।

(नौ) अधिकारी एवं कर्मचारी से अभिप्रेत है, समिति के समस्त पूर्ण कालिक व अंशकालिक अधिकारी/कर्मचारी, नियुक्ति करने के लिये सम्यक रुप से सशक्त अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी और इनके अंतर्गत परामर्शदात्रि, अनुसंधानकर्ता एवं अन्य यदि कोई हो तो सम्मिलित है।

(दस) समिति के अधिकारी से अभिप्रेत है, समिति के पदाधिकारी।

7. **साधारण सभा के पदेन सदस्य :-**

(क) सभापति :- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामांकित कौशल एवं रोजगार क्षेत्र से जुड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति

(ख) . सदस्य :- (एक) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

(दो) उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

(तीन) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

(चार) वित्त

:- (पांच) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड(एमपीएसएसडीईजीबी)

:- (छः) संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश

(घ) सदस्य सचिव :- :- (सात)संचालक ग्लोबल स्किल पार्क समिति

(च) सदस्य :- मनोनीत व अशासकीय सदस्य औद्योगिक संगठनों के

संयुक्त संचालक (ए डी बी)
एमपीएसएसडीईजीबी
भोपाल (म.प्र.)

परिशिष्ट "दो"

GLOBAL SKILLS PARK
BHOPAL - MADHYA PRADESH

म०प्र० स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्तमान में संचालित संस्था ग्लोबल स्किल्स पार्क-सिटी कैंपस, भोपाल

वर्षवार युवक युवतियों को प्रशिक्षण की जानकारी

स.क्र.	वर्ष/सत्र	लाभान्वित युवकों की संख्या	लाभान्वित युवतियों की संख्या	वर्षवार कुल संख्या	रिमार्क
01	2018-19	निरंक	निरंक	निरंक	--
02	2019-20	67	04	71	--
03	2020-21	77	11	88	वर्ष/सत्र के 88 प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान में संस्था द्वारा एक वर्षीय सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कोर्स" -Advance Certificate in Precision Engineering" प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है।

R.K. [illegible]
Global Skills Park City Campus
Bhopal